ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2022

क्रमांक एफ–3–14/2018/तेरह : मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन 2012) की धारा 13 की उप–धारा (1) एवं उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम, 1949 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :–

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 16 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात :–

"16. शास्तिः– यदि कोई फ्रेंचाईजी, उत्पादक, केप्टिव उत्पादन संयंत्र, उत्पादन कंपनी, उपभोक्ता या व्यक्ति इन नियमों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन करता है या किसी निरीक्षक को इन नियमों एवं मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 के अधीन उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने या उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में साशय बाधा पहुंचाता है, तो वह जुर्माने से, जो 5 हजार रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

परंतु मुख्य विद्युत निरीक्षक जुर्माने के अधिरोपण के लिए कारणों सहित लिखित आदेश जारी कर ऐसा जुर्माना अधिरोपित करेगा :

परन्तु यह और कि संबंधित फ्रेंचाईजी, उत्पादक, कैप्टिव उत्पादन संयंत्र, उत्पादन कंपनी, उपभोक्ता या व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना जुर्माना अधिरोपित नहीं किया जाएगा।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज अग्रवाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 3rd October 2022

No. F-3-14/2018/13 : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Electricity Duty Act, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Electricity Duty Rules, 1949, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, for rule 16, the following rule shall be substituted, namely :-

"**16. Penalty**: - If any Franchisee, Producer, Captive Generating Plant, Generating Company, Consumer or Person commits a breach of any provisions of these rules or intentionally obstructs an Inspector in the performance of his duties or exercise of his powers under these rules and the Madhya Pradesh Electricity Duty Act, 2012, he shall be punishable with a fine which may extend to Five Thousand Rupees:

Provided that Chief Electrical Inspector shall impose such fine by issuing a written order with reasons for imposition of fine:

Provided further that the fine shall not be imposed without giving reasonable opportunity of hearing to the concerned Franchisee, Producer, Captive Generating Plant, Generating Company, Consumer or person.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NEERAJ AGARWAL, Officer on Special Duty.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2022

फा.क्रमांक 4078/इक्कीस–ब (एक)/2022, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप–नियम (2) में, खण्ड (दो) में, विद्यमान परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :–